

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 1979/श्रावण 9, 1901
No. 155] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 1979/SRAVANA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं. 45-आईटीसी(पीएन)/79

आयात व्यापार निबंधन

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1979

विषय :—स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना ।

मिसिल सं. 12/4/78-ईपीसी.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 39-आईटीसी(पीएन)/79 दिनांक 30 जून, 1979 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि जुलाई, 1979 मास के दौरान उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत भारतीय स्टैंट बैंक द्वारा बचे जाने वाले शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की कीमत प्रति 10 ग्राम पर किसी भी लागू स्थानीय करों को छोड़कर 800/- रु. होगी ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है कि अगस्त, 1979 मास के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपर्युक्त योजना के अंतर्गत रिहाई आदेश धारकों को जिस कीमत पर सोना बेचा जाएगा वह शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की प्रति 10 ग्राम पर किसी भी लागू स्थानीय करों को छोड़कर 825/- रु. (आठ सौ पच्चीस रुपये मात्र) होगी।

सी. वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 45-ITC(PN)/79

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st July, 1979

Subject : Gold Jewellery Export Replenishment Scheme.

F. No. 12/4/78-EPC.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 39-ITC(PN)/79 dated the 30th June, 1979 notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India during the month of July, 1979 would be Rs. 800 per 10 grammes of pure gold (1.000 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it has been decided that the price at which gold will be sold to the Release Orders holders under the said Scheme by the State Bank of India during the month of August, 1979 would be Rs. 825 (Rupees Eight Hundred twenty five only) per 10 grammes of pure gold (1.000 fineness), exclusive of any local taxes applicable thereto.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports and Exports